

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(85)वित्त-1(1)आय.व्य/2017

जयपुर, दिनांक : 21/01/2019

स्वीकृति संख्या:-637/2018-19

कोषाधिकारी,  
बारां।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में कलक्टर एवं अध्यक्ष, सहरिया विकास समिति, शाहबाद (बारां)  
के पी.डी.खाते में राशि रुपये 44.59 लाख के हस्तांतरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ 6/लेखा/सीटीएडी/प्रस्ताव/के.प्र.यो./2018-19 स्वीकृति सं. 46 दिनांक 08.01.2019 राशि रु. 44.59 लाख एवं संशोधित स्वीकृति सं. 63/2018-19 दिनांक 18.01.2019 में अंकित शर्तों के अनुसार कलक्टर एवं अध्यक्ष, सहरिया विकास समिति, शाहबाद (बारां) के पी.डी. खाते में कुल राशि रुपये 44.59 लाख (अक्षरों रुपये चवालीस लाख उनसठ हजार) मात्र की राशि निम्न बजट मद में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दी जावे।

मांग संख्या -30

4225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

02 - अनुसूचित जन जातियों का कल्याण

796 - जनजातिय क्षेत्र उपयोजना

(26) - केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत पूंजीगत निर्माण कार्य


[08] - सहरिया विकास की सीसीडी योजनान्तर्गत चिकित्सा सुविधाओं का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण

17 - वृहद निर्माण कार्य (केन्द्रीय सहायता)

राशि रुपये 44.59 लाख मात्र

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा तत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।


भवदीय,

  
(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग।
5. कलक्टर एवं अध्यक्ष, सहरिया विकास समिति, शाहबाद (बारां)।
6. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
7. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)